

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 02/2026 बउनवानी मनोहर लाल साकरवाल बनाम उपजिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
निवासी 3/300 हाउसिंग बोर्ड सोनी फोटो स्टूडियो के पास टोंक
GCMS No-2026/2


तारीख हुकम
4.2.2026

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 17.11.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर "दुर्गेश देवी के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पीपीओ नम्बर आरजेएस 03023265 दिनांक 21.5.2013 एवं पेशन हेतु दिये गये आवेदन की प्रमाणित प्रति "उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयवाधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: सूकाअ/2026/95 दिनांक 28.1.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 17.11.2025 मे चाही गयी सूचना के संबंध में श्रीमति दुर्गेश देवी द्वारा आपत्ति कर निवेदन किया है कि उसकी सूचना किसी तृतीय पक्ष को नही दी जावे। जिसके संबंध मे उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 1434 दिनांक 1.12.2025 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत करावाया जा चुका है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 17.11.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना तृतीय पक्ष की होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध मे लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 1434 दिनांक 1.12.2025 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति अवगत करावाया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।


(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर